यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/101/2017 **दिनांक :** 10.11.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

विमुद्रीकरण अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा किये गये अतिरिक्त कार्य के लिए ओवरटाइम का भुगतान

उपरोक्त विषय में एआईबीईए के महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् ने अपना परिपत्र पत्र संख्या 28/45/2017/45 दिनांक 09.11.2017 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। आईबीए के पत्र संख्या 3860 दिनांक 08.11.2017 की प्रतिलिपि भी इस परिपत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

- **विमुद्रीकरण के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा किये गये अतिरिक्त कार्य के लिए वास्तविक ओवरटाइम का भुगतान**

इकाईओं को ज्ञात है कि रू0 500 और रू0 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद, शाखाओं में काम का बहुत बोझ था और ज्यादातर बैंक शाखाओं में कर्मचारियों को देर रात तक बैठना पड़ता था। आरबीआई ने रविवारों और अवकाशों में कार्य करने के निर्देश दिए थे और कई बैंकों ने बैंक ग्राहकों और आम जनता की जरूरतो को पूरा करने के लिए उस अवधि के दौरान अतिरिक्त कार्य समय के आदेश दिए थे। अपने नियमित काम के घण्टों से अधिक अतिरिक्त घण्टों के लिए कार्य करने के अलावा, कर्मचारियों को असंख्य समस्याओं और कठिनाईयों से गुजरना पड़ा और उनके उत्पीड़न और क्रोध का सामना किया जिसमें हमारी ओर से कोई दोष नहीं था। किन्तु दुर्भाग्य से, कई बैंक प्रबन्धनों ने कर्मचारियों द्वारा किये गये वास्तविक अतिरिक्त घण्टों के कार्य के लिए ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया लेकिन कुछ निश्चित दिनों के लिए केवल कुछ निश्चित घण्टों के लिए ओवरटाइम का भुगतान किया गया था।

इसलिए एआईबीईए से हमने अपने पत्र दिनांक 2.12.2016 के माध्यम से मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उनके हस्तक्षेप की मांग करते हुए इस मामले को उठाया। 22.12.2016 को, मुख्य श्रम आयुक्त ने

जारी पृष्ठ 2

आईबीए के अध्यक्ष को एआईबीईए द्वारा लगाये गये आरोपों पर कि किये गये वास्तविक कार्य के लिए समयोपरि वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, उनकी टिप्पणी की मांग करते हुए पत्र लिखा। आईबीए ने 31.12.2017 को मुख्य श्रम आयुक्त को स्पष्ट करते हुए उत्तर दिया कि द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी को प्रबन्धन द्वारा तय किये गये अनुसार ओवरटाइम कार्य करना पड़ता है, तो वह ऐसे ओवरटाइम कार्य के लिए भुगतान प्राप्त करने का पात्र होगा। हालांकि, कई बैंकों के प्रबन्धन ने समयोपरि वेतन का भुगतान करने से इंकार कर दिया यद्यपि उनकी कार्रवाई अवैध, अनुचित और द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन था।

28.2.2017 की यूएफबीयू की हड़ताल के दौरान और 21.2.2017 को मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा आयोजित समझौता बैठक में एक माँग के रूप में इस मामले को उठाया गया था, ओवरटाइम के भुगतान की हमारी मांग के जवाब में, आईबीए और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी द्वारा किये गये अतिरिक्त कार्य के लिए ओवरटाइम के भुगतान के लिए प्रावधान है। इसलिए मुख्य श्रम आयुक्त ने सलाह दी कि आईबीए को सभी पात्र कर्मचारियों को ओवरटाइम का भुगतान करने के लिए सभी बैंकों को दिशानिर्देश जारी करने चाहिए।

उपरोक्त समझौता बैठक का कार्य विवरण 3.3.2017 को आईबीए द्वारा सभी बैंकों को भेजा गया था। लेकिन, खेद की बात है कि बैंक प्रबन्धन इस न्यायोचित माँग से इंकार करते रहे और किये गये वास्तविक कार्य के लिए ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया गया।

इसलिए हम द्विपक्षीय समझौते के अनुसार ओवरटाइम का भुगतान करने की बैंकों को सलाह देने के लिए आईबीए के साथ इस मामले को उठा रहे हैं। चूंकि मामले में देरी हो रही थी और कर्मचारियों में अत्यधिक रोष था, एआईबीईए ने निर्णय लिया कि कर्मचारियों को देय समयोपरि वेतन का दावा करने के लिए कानूनी उपाय किया जाना चाहिए। यह आईबीए को भी अवगत करा दिया गया था।

इस पृष्ठभूमि में, आईबीए ने अब अपना पत्र संख्या 3860 दिनांक 8.11.2017 (प्रतिलिपि संलग्न) दोहराते हुए भेजा है कि द्विपक्षीय समझौते के अनुसार कर्मचारियों को ओवरटाइम देय है और द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी ओवरटाइम प्राप्त करने के हकदार होंगे।

हम अपनी यूनियनों को सलाह देते हैं कि जहां भी प्रबन्धन ने वास्तविक अतिरिक्त कार्य के लिए वास्तविक ओवरटाइम का भुगतान न किया हो, मामले को तद्नुसार उठाया जाना चाहिए।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

Indian Banks' Association

HR & INDUSTRIAL RELATIONS

No.CIR/HR & IR/VGK/ 2017-18/3860
8th November 2017

All Members of the Association
(Designated Officers)

Dear Sir,

Payment of Overtime wages to employees during Demonetization

We have to advise that various Unions representing employees of Public Sector Banks (PSBs) have threatened to launch a strike and head to courts if Public Sector Banks do not clear overtime wages for the period they worked long hours to handle the demonetization rush. They have raised this issue several times and also gone to the Press.

2. The Unions had raised the issue before the Chief Labour Commissioner (Central) also while giving strike call for 28th February 2017. The Chief Labour Commissioner, in Conciliation proceedings had in the matter on 21st February 2017 advised that IBA should issue suitable guidelines to all banks for uniform grant of overtime, to all eligible workmen. A copy of the minutes of the Conciliation proceedings was forwarded to all Public Sector Banks vide our letter No.CIR/HR&IR/Q2016-17/2217 dated 3rd March 2017.

3. In this connection, we reiterate that the overtime is paid to workmen employees as per the provisions of the Bipartite Settlements arrived at between Workmen Unions and Banks' Management from time to time. As such, if Workmen is required to do overtime work as decided by the Management of the banks concerned, he/she will be entitled to receive payment for such overtime work as per the provisions of Bipartite Settlements.

4.. In view of the above, Banks are advised to do the needful.

5. Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

V G Kannan
Chief Executive